<u>नेशनल लोक–अदालत खण्डपीठ कमांक–22, रायपुर (छ.ग.)</u>

(नेशनल लोक–अदालत की तिथि 11/12/2021)

1. **संबधित न्या0 का नाम – श्रीमती निधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर (छ0ग0)**
2. **सी0एफ0कमांक – 4711/2018**
3. **पक्षकारों के नाम – कैलाश राघवानी, उम्र–29 वर्ष**
   पिता श्री नंदलाल राघवानी
   प्रो. गुरू कृपा इलेक्ट्रिानिक्स
   आनंदपुर सतसंग आश्रम के सामने जवाहर नगर रायपुर
   तहसील व जिला रायपुर छ.ग.

   विरूद्व

   1. चन्द्रहास साहू,
   प्रोपरायटर राज हार्डवेयर एण्ड मशीनरीय स्टोर
   तरीघाट (राजिम) तहसील राजिम जिला गरियाबंद छ.ग.

   2. मे. राज हार्डवेयर एण्ड मशीनरीय स्टोर
   द्वारा प्रो. चन्द्रहास साहू,
   पता तरीघाट (राजिम) तहसील राजिम
   जिला–गरियाबंद, छ.ग.

<u>अधिनिर्णय/आदेश</u>

(आज दिनांक 11/12/2021 को नेशनल लोक अदालत में पारित)

01. परिवादी द्वारा आरोपी के विरूद्व **धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के तहत परिवाद पेश किया गया है कि परिवादी से आरोपी ने ऋण की अदायगी का भुगतान करने के लिए **दिनांक 14.06.2018 को बैंक ऑफ बडौदा राजिम गरियाबंद का चेक कमांक– 00001, राशि–88,435/–(अक्षरी–अट्ठयासी हजार चार सौ पैंतीस रूपये)** का प्रदान किया था जिसे परिवादी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर **''Funds Insufficient''** की टीप के साथ वापस प्राप्त हो गया।

02. परिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र वास्ते राजीनामा पश्चात् अंतर्गत धारा–257 द.प्र.स. प्रकरण समाप्त करने बाबत् पेश किया। खण्डपीठ के द्वारा राजीनामा के संबंध में पूछताछ करने पर परिवादी/परिवादी अधिवक्ता ने आरोपी के साथ न्यायालय के बाहर बिना किसी डर, दबाव एव लालच के स्वेच्छया राजीनामा करना बताया। परिवादी बिना किसी डर, दबाव एवं लालच के स्वेच्छया राजीनामा करने हेतु तैयार है। परिवादी से पूछताछ

करने एवं प्रकरण के अवलोकन करने के उपरान्त स्पष्ट है कि परिवादी ही प्रकरण के पीड़ित पक्षकार है। अतः परिवादी एवं अभियुक्त के साथ राजीनामा किये जाने/**परिवाद वापस किये जाने की अनुमति प्रदान** की जाती है।

03. उभयपक्ष की ओर से राजीनामा एवं आपसी सहमति के आधार पर परिवाद **धारा–138 प.लि.अधिनियम** के दण्डनीय अपराध के आरोप से राजीनामा/**अंतर्गत धारा–257 द.प्र.स. के तहत्** बल नहीं देने के आधार पर अभियुक्त को **दोषमुक्त**/उन्मोचित घोषित किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा दांडिक सम्पत्ति कुछ नहीं।

प्रकरण समाप्त हुआ परिणाम दर्ज कर जमा अभिलेखागार हो।

सही/–	**सही/–**	**सही/–**	**सही/–**
अधिनिर्णय/आदेश प्रतिलिपि प्राप्त किया।	**हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी**	**हस्ताक्षर सदस्य**	**हस्ताक्षर की सदस्य**